

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/परीक्षा/2025/ 809

रीवा, दिनांक 28/10/25

संशोधित अधिसूचना

विश्वविद्यालय के समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों के नियमित/एटीकेटी NEP स्नातक एनईपी द्वितीय एवं तृतीय वार्षिक पद्धति परीक्षा 2024-25 के आवेदन वेब पोर्टल www.apsu.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन भरने की तिथि निम्नानुसार घोषित की जाती है।

सत्र	पाठ्यक्रम का नाम	वर्ष	पाठ्यक्रम का प्रकार	आवेदन तिथि व शुल्क
NEP वार्षिक पद्धति परीक्षा 2024-25	स्नातक - BA, BSC, B.COM. BBA, BCA, BHSC,	द्वितीय एवं तृतीय वर्ष 2024-25	स्नातक NEP 2025 नियमित	1. दिनांक 28.10.2025 से 30.10.2025 तक 1500/- विलंब शुल्क के साथ।

निर्देश- जो छात्र किसी कारणवश छूट गये हैं एवं जिन छात्रों ने वचन पत्र के आधार पर परीक्षा में बैठे हैं उन्हीं छात्रों के लिये।

विशेष नोट- अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के अन्तर्गत महाविद्यालयीन स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष एन.ई.पी. वार्षिक नियमित/एटीकेटी परीक्षा 2025 के परीक्षा फार्म पोर्टल पर छात्रों द्वारा भरने हेतु तभी उपलब्ध होंगे जब एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल पर उन समस्त छात्रों के आंतरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट एवं प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक महाविद्यालय द्वारा भरे जा चुके होंगे।

अतः महाविद्यालयीन प्राचार्य/संचालकों को निर्देशित किया जा रहा है कि एन.ई.पी. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के समस्त छात्रों के प्रायोगिक, आन्तरिक मूल्यांकन का कार्य दिनांक 28.10.2025 से 30.10.2025 तक सम्पन्न कराकर एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल पर उनके प्राप्तांक अनिवार्यतः फीड करावे एवं छात्रों द्वारा गृहीत विषय का सत्यापन कार्य भी किया जावे। महाविद्यालय द्वारा जिन छात्रों के अंकों की प्रविष्ट पोर्टल पर हो जावेगी उन्हीं छात्रों के परीक्षा आवेदन भरने हेतु पोर्टल पर उपलब्ध होंगे।

1. प्राचार्य/अग्रेषणकर्ता अधिकारी अग्रेषित समस्त आवेदनों की सत्यापित प्रति परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा कराए, उक्त के अभाव में प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जावेगा।
2. अग्रेषणकर्ता अधिकारी कृपया परीक्षार्थी द्वारा आवेदन के साथ जमा किये आवश्यक संलग्न अभिलेखों का भलीभांति परीक्षण कर लें। परीक्षा आवेदन पत्र पूर्ण रूपेण भरे होने, परीक्षा शुल्क जमा होने, विषय/प्रश्नपत्र सही होने एवं पात्रता सुनिश्चित होने पर ही आवेदन अग्रेषित करें। पात्रता न होने पर परीक्षा, आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व अग्रेषणकर्ता अधिकारी का होगा।
3. अग्रेषणकर्ता अधिकारी कृपया प्रवेश विनियमन का पालन करें प्रवेश पोर्टल की प्रवेश सूची एवं विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त कक्षा/विषयों के अनुसार ही परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेषित करें।

आदेशानुसार,


सहायक कुलसचिव परीक्षा